UPMO010066052026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी-सै0 माऊज़ बिन आसिम, (एच 0 जे0 एस 0)

JO Code-UP1895

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1887/2026

आदिल उर्फ जाहिद हुसैन उम्र लगभग 31 वर्ष पुत्र साबिर हुसैन, निवासी कहारों का मन्दिर, नवाबपुरा, थाना नागफनी, जिला मुरादाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या-58/2025,
धारा-115(2), 351(2), 352]
332(बी), 74 बी0 एन 0 एस 0
थाना-नागफनी, जिला-मुरादाबाद।

17.06.2026

1- अग्रिम जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित।

2- प्रार्थी/अभियुक्त आदिल उर्फ जाहिद हुसैन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-58/2025, अन्तर्गत धारा-115(2), 351(2), 352, 332(बी), 74 बी0 एन 0 एस 0, थाना नागफनी, जिला मुरादाबाद के संबंध में अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3- सुना गया एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

4- पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 11.04.2025 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, उसके पति सुरेश की सन 2020 में मृत्यु हो गई थी, उसके दो बच्चे हैं। वह जैसे-तैसे अपना व अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही है। उसने बॉबी उर्फ फहीम निवासी कहारों वाला मंदिर कूड़ा घर के पास गली नंबर-3 चौकी नागफनी मो0 नं0

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.06.17 19:17:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

908494XXXX से अपने घर पर दूध लगवा रखा था, जिस कारण उसकी बॉबी उर्फ फहीम की जान पहचान हो गई और बॉबी उर्फ फहीम ने, उसको शादी का झांसा देकर उससे बात करना व धीरे-धीरे मिलना-जुलना शुरू कर दिया। उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ एक साल तक कई बार शारीरिक संबंध बनाए। उसको अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है कि बॉबी उर्फ फहीम पहले से ही शादीशुदा है। उसने जब बॉबी उर्फ फहीम से बात की, तो उसने कहा कि वह, अब उससे प्यार नहीं करता। वह उसे अब तक इस्तेमाल कर रहा था, अब दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं रहा। इस बात पर, बॉबी उर्फ फहीम की प्रेमिका सेवी उर्फ बृजबाला और आदिल, उसके(वादिनी के) घर आकर दिनांक 08.04.2025 को रात्रि 09:00 बजे मारपीट व गाली गलौज की है और कह रही थी कि बॉबी उर्फ फहीम उसका प्रेमी है, तू इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अगर तूने उसके या उसके प्रेमी के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही की, तो तुझे व तेरे बच्चों को जान से मरवा देगी। वादिनी/पीड़िता की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण बॉबी उर्फ फहीम, सेवी उर्फ वृजबाला व आदिल के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा-69, 115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

5- प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किये गए हैं कि, आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वादी मुकदमा द्वारा लोगों के सिखाये चढ़ाये में झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, वादी मुकदमा उसे जानती व पहचानती नहीं है, जिस कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम आदिल लिखाया है, जबकि उसका नाम जाहिद हुसैन है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसने वादी मुकदमा के घर जाकर कोई मारपीट नहीं की है, ना कोई धमकी दी है, न दुपट्टा खींचा है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाये गये समय पर, वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उक्त वाद के मुख्य आरोपी बोबी उर्फ फहीम की जमानत न्यायाल अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0 टी0 सी0, कोर्ट नं0-01, मुरादाबाद से स्वीकार हो चुकी है। उक्त वाद के मुख्य आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान पीड़िता/वादी मुकदमा न्यायालय में उपस्थित आयी और उसके द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी बोबी उर्फ फहीम व बृजवाला से कहासुनी हो गई थी। कुछ रिश्तेदार आ गये थे, जिन्होंने सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया था, जब मुकदमा दर्ज हुआ, तो जानकारी हुई, उसने अपने खिलाफ कार्यवाही के डर से थाने व अदालत में

बयान दे दिये थे, उसके साथ बॉबी उर्फ फहीम व सेवी उर्फ बृजवाला व आदिल ने कोई भी तहरीर में लिखी घटना/अपराध कारित नहीं किया है। वह मुल्जिमान के प्रति कोई कार्यवाही आगे नहीं चाहती है। समर्थन में शपथपत्र, अपना आधार कार्ड भी संलग्न किया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाया गया आरोप सात वर्ष से कम सजा के अन्तर्गत आता है, इसलिए थाना पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार नहीं किया गया तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत 35(3) का नोटिस तामील कराया गया है। उसका कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, न ही किसी न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

7- अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अपनी गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर प्रस्तुत किया गया है, परन्तु सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्यानुसार, प्रार्थी/अभियुक्त मुकदमा अपराध संख्या-58/2025, अन्तर्गत धारा-115(2), 351(2), 352, 332(बी), 74 बी0 एन 0 एस 0, थाना नागफनी, जिला मुरादाबाद में वांछित नहीं है, न ही मुकदमा उपरोक्त में आदिल उर्फ जाहिद हुसैन नाम का कोई व्यक्ति नामित है और न ही विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रकाश में आया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त आदिल उर्फ जाहिद हुसैन द्वारा, मुकदमा अपराध संख्या-58/2025, अन्तर्गत धारा-115(2), 351(2), 352, 332(बी), 74 बी0 एन 0 एस 0, थाना नागफनी, जिला मुरादाबाद में, अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, निरस्त किया जाता है।

स्टेनो–राजीव कुमार।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
17.06.2026